दिनांक 16 अप्रैल, 2019 को संयुक्त निदेशक(प्रशासन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य–स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

---

1. **उपस्थितिः–संलग्न।**

समीक्षात्मक बैठक में सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को ससमय राज्यस्तरीय बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया। अनुपस्थिति की स्थिति में पूर्व सूचना अचूक रूप से निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०/स्थापना

2. अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित 8वीं तारिख तक निदेशालय को लभ्य कराने का पूर्व से स्थायी निदेश है। इसके बावजूद भी पूर्णिया एवं सारण प्रमंडल से अनुपालन प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही भागलपुर, कोशी एवं सारण प्रमंडल तथा मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, बांका, किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर एवं शिवहर जिला कार्यालय से कोई भी प्रतिनिधि राज्यस्तरीय बैठक में भाग नहीं लिये। निदेश दिया गया कि संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी से ससयम अनुपालन एवं आहुत राज्यस्तरीय बैठक में भाग नही लेने के स्पष्ट कारणो से संबंधित प्रतिवेदन निदेशालय को लभ्य करायी जाय।

3. प्रत्येक सप्ताह के बुधवार एवं गुरूवार को सांख्यिकी से संबंधित सभी कार्यो का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने लिए निदेश दिया गया।

अनुपालनः– निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/ सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

4. सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि राज्य स्तरीय बैठक की समीक्षा हेतु अपने–अपने जिला के प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति निश्चित रूप से प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी) को उपलब्ध करायी जाय।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

5. अगामी छः माह में सेवानिवृत हो रहे पदाधिकारी/कर्मियों की समीक्षा कर सेवान्त लाभ के ससमय भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सभी नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ताकि सेवान्त लाभ का ससमय भुगतान हो सके।

अनुपालनः–निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/स्थापना प्रशाखा 1 एवं 2

6. संबंधित स्थापना से सेवानिवृत वैसे कर्मी जिन्हें ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. का लाभ नहीं मिला है उन सभी का विशेष गोपनीय चारित्री यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। सभी नियंत्री पदाधिकारी को कर्मियो को देय ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. के लिए निदेश दिया गया कि सेवापुस्त के आधार पर मास्टर चार्ट तैयारकर उपलब्ध कराया जाय। जिसमें यह भी उल्लेख हो कि सेवा निवृत कर्मियों का कौन–कौन से दावे का भुगतान हुआ है एवं कौन से सेवांत लाभ का भुगतान लंबित है, का कारण सहित निदेशालय को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

अनुपालनः–निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/ सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

Scanned by CamScanner

7. सभी उप निदेशक(सां०)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि आपके कार्यालय में पदस्थापित सभी संवर्ग के कर्मियों से संबंधित डाटा वेस तैयार करने के निमित वांछित सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया है।

अनुपालनः–निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/ सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

8. दिनांक 25.03.2019 को विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में कृषि से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में निदेश दिया गया कि सभी संबंधित प्रतिवेदन निदेशालय को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। निर्धारित अवधि के बाद प्रतिवेदन के प्राप्त होने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। निदेश दिया गया सभी संबंधित प्रतिवेदन निदेशालय में प्राप्त होने के निर्धारित तिथि को अचूक रूप से उपलब्ध करायी जाय।

अनुपालनः–निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/ सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

9. <u>वर्षापातः</u>–

(i) वर्षापात के आंकड़ों को Web-Portal पर प्रत्येक दिन 10 बजे पूर्वाह्न तक अपलोड करने का निदेश दिया गया। साथ ही जिलों से प्राप्त वर्षापात के समेकित प्रतिवेदनों से निदेशक महोदय को भी अवगत कराया जाय।

(ii) वर्षामापक यंत्र के अधिष्ठापन एवं रखरखाव तथा मानवबल हेतु आवंटित किये गये राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथा–जिला पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, प०चम्पारण, सीतामढ़ी, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, गया, अरवल, नवादा, दरभंगा, शेखपुरा, बेगूसराय एवं बांका से विहित प्रपत्र में अद्यतन अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि उपयोगिता प्रमाण–पत्र अविलम्ब उपलब्ध कराया जाया।

अनुपालनः– सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/निदेशालय

(iii) सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को वर्षापात रिडिंग लेने वाले कर्मियों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iv) सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने जिला अन्तर्गत के सभी अधिष्ठापित वर्षामापक यंत्रों का निरीक्षण प्रतिवेदन प्राथतिकता के आधार पर वेव पोटल पर अपलोड करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(v) सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि ज़हाँ नये वर्षामापक यंत्र के अधिष्ठापन हेतु राशि की आवश्यकता संबंधी मांग पत्र अविलम्ब उपलब्ध करायी जाय। वैसे जिला सांख्यिकी पदाधिकारी जिनके द्वारा राशि के उपलब्धता के बावजूद वर्षामापक यंत्र का अधिष्ठापन नहीं कराकर राशि प्रत्यार्पण कर दिया गया है, कारण सहित प्रतिवेदन भी उपलब्ध करायें।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

Scanned by CamScanner

10. रान्यासः–

(i) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 77वें सत्र के प्रथम उपसत्र में माह मार्च 2019 तक के कार्यो की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मार्च तक संपादित सर्वेक्षण के उपरांत भरी हुई अनुसूचियॉ निम्नांकित जिलों से अप्राप्तः–

क्रमांक	निरीक्षणालय का नाम	लंबित प्रतिदर्श	क्रमांक	निरीक्षणालय का नाम	लंबित प्रतिदर्श
1	पटना	05	2	नालंदा	05
3	भोजपुर	02	4	मुजफ्फरपुर	01
5	सीतामढी	01	6	मोतिहारी	02
7	सहरसा	04	8	पूर्णिया	04
9	कटिहार	04	10	गया	06
11	भागलपुर	05	12	सारण	03
13	सिवान	04	14	बेगूसराय	01

सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने–अपने निरीक्षणलयों में लंबित अनुसूचियाँ उक्त विवरणी के अनुसार अविलम्ब निदेशालय उपलब्ध करायी जाय।

अनुपालनः– संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/अन्वेषक

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निर्धारित संख्या में निरीक्षण करने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय निदेशालय को लभ्य कराने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः–सभी संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/निदेशालय

11. लघु सिंचाई गणनाः–

छठी लघु सिचांई गणना के प्रचार प्रसार का अभिश्रव वैशाली एवं जहानाबाद को छोड़कर शेष जिलों से अप्राप्त है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधकारी को निदेश दिया गया कि वांछित अभिश्रव अविलम्ब निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालनः–सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)

12 आर्थिक गणनाः–

(i) 7वीं आर्थिक गणना के कार्यान्वयन हेतु द्वितीय चरण का पर्यवेक्षक जिला स्तर पर किए जाने हेतु 10(दस) पर्यवेक्षकों की सूची जिला–भोजपुर, बक्सर, रोहतास, जमुई, सारण, वैशाली, मोतिहारी, पूर्णिया, पटना से प्राप्त है। शेष जिलों से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर वांछित प्रतिवेदन निदेशालय को लभ्य करायी जाय।

अनुपालनः–सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(ii) 7वीं आर्थिक गणना हेतु शहरी क्षेत्र में वार्ड का नक्सा तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण नक्सा की सूची जिला अपने स्तर से MOSPI को उपलब्ध कराते हुए कृत कार्रवाई का अनुपालन निदेशालय को लभ्य करायी जाय।

अनुपालनः–सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)

Scanned by CamScanner

13. साधन सांख्यिकी एवं आवास सांख्यिकी :–

(i) साधन सांख्यिकी का प्रतिवेदन सभी स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 का **लेखा विवरणी (आय एवं व्यय)** विहित प्रपत्र में सभी जिलों से अप्राप्त है। इस संदर्भ में अनेको वार निदेशालय से स्मार के बावजूद भी राज्यस्तरीय बैठक की समीक्षा में आपके आश्वासन के बावजूद नहीं प्राप्त हो पा रहा है। निदेश दिया गया कि शीघ्रताशीघ्र प्राथमिकता का निर्धारण करते हुए वांछित प्रतिवेदन निदेशालय का लभ्य करायी जाय।

अनुपालनः–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/उप निदेशक(सां०)।

(ii) आवास एवं भवन निर्माण से संबंधित वित्तीय वर्ष 2017–18 में जिला पटना एवं कटिहार से अप्राप्त तथा वर्ष 2018–19 का पटना, भोजपुर, नालंदा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, सारण एवं दरभंगा से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी लंबित वर्षो का त्रैमासिक प्रतिवेदन ऑन लाइन भारत सरकार को भेजते हुए कृत कार्रवाई का अनुपालन एक सप्ताह के अन्दर अचूक रूप से निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

अनुपालनः संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(iii) राजीव आवास योजना (क्षमता निर्माण) के तहत वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिश्रव के साथ संबंधित जिलों से मांग की गयी थी। जिसमें अभी तक नालंदा से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि संबंधित वांछित प्रतिवेदन निदेशालय को अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालनः संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

14. कृषिः–

(i) फसल सांख्यिकी सुधार योजनाः– फसल सांख्यिकी सुधार योजना के भदई 1.0 एवं 1.1 क्रमशः पू0 चम्पारण एवं मधेपुरा से अप्राप्त। अगहनी 1.0 एवं 1.1 क्रमशः मधेपुरा एवं बांका से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि लंबित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालनः– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(ii) रब्बी 1.0 एवं 1.1 पटना, भभुआ, रोहतास , गया, जहानाबाद, सिवान, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, जमूई एवं अररिया से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। शेष जिला को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर वांछित प्रतिवेदन अविलम्ब निदेशालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालनः– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iii)

(क) अगहनी सामान्य जिंसवारः– अगहनी सामान्य जिंसवार पटना, जहानाबाद मुंगेर, शेखपुरा, बांका एवं मधेपुरा जिलों से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि सभी वांछित अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य करायी जाय।

अनुपालनः– सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

Scanned by CamScanner

(ख) **भदई** प्रक्षेत्र मूल्यः– भदई प्रक्षेत्र मूल्य नालंदा, मुंगेर एवं पूर्णियॉ से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि अचूक रूप से वांछित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य करायी जाय।

अनुपालनः– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(ग) **अगहनी** प्रक्षेत्र मूल्यः– अगहनी प्रक्षेत्र मूल्य नालंदा, बांका, पूर्णियॉ, मुंगेर, शेखपुरा एवं जमुई, से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि अचूक रूप से वांछित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य करायी जाय।

अनुपालनः– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(iv) (क) भदई मकई 2.0 मात्र जिला अररिया से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि वांछित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

अनुपालनः– जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अररिया।

(ख) भदई धान 2.0 क्रमशः पूर्वी चम्पारण, सहरसा एव किशनगंज से अप्राप्त है। साथ ही अगहनी धान 2.0 पू0 चम्पारण, मधेपुरा, किशनगंज, मुंगेर, बेगुसराय, भागलपुर, बांका एवं भोजपुर से प्राप्त है। निदेश दिया गया कि संबंधित वांछित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

अनुपालनः– सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(v) बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत अधिसूचित फसलों के फसल कटनी प्रयोग के आँकड़ों को CCE App पर अपलोडिंग की स्थिति पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा App में तकनीकी गड़बड़ी की शिकायत की गई। निदेश दिया गया कि उप निदेशक (कृषि) मुख्यालय वस्तुस्थिति की समीक्षा अपने स्तर से करते हुए NIC के संबंधित पदाधिकारियों से सपर्क स्थापित कर App की तकनीकी खराबी की अविलम्ब सुधार करायी जाय।

अनुपालनः– उप निदेशक(कृषि) मुख्यालय।

(vi) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला शेखपुरा एवं किशनगंज अगहनी धान के फसल कटनी प्रयोग के शत्–प्रतिशत आँकड़े अपलोड कर दिया गया है। इसी संदर्भ में निर्णय लिया गया कि राज्य के औसत 56 % से कम अपलोडिंग वाले जिला से उप निदेशक (कृषि) मुख्यालय अपने स्तर से कारण पृच्छा करते हुए अगामी रब्बी मौसम के अधिसूचित फसलों के फसल कटनी प्रयोग के शत्–प्रतिशत आँकड़ों को CCE Agri App के माध्यम से अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/उप निदेशक (कृषि)।

(vii) वित्तीय वर्ष 2018–19 में कृषि सांख्यिकी से संबंधित जिला एवं प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराये गये आवंटन को जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगूसराय, समस्तीपुर द्वारा शत्–प्रतिशत राशि को प्रत्यार्पण कर दिया गया है। साथ ही जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, समस्तीपुर बिना किसी पूर्व सूचना के बैठक से अनुपस्थित रहे और ना ही कोई प्रतिनिधि ही बैठक में भाग लिया। निदेश दिया गया कि प्रत्यार्पण की गई राशि एवं बिना सूचना के बैठक से अनुपस्थित रहने के संदर्भ में कारण पृच्छा की जाय।

अनुपालनः– उप निदेशक (कृषि)/बजट/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

Scanned by CamScanner

(viii) फसल कटनी प्रयोग के निरीक्षण/पर्यवेक्षण हेतु निदेशालय एवं अन्य संबंधित विभाग से वरीय पदाधिकारी के आने की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित जिला के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक निश्चित रूप से वरीय पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर चयनित प्लॉट पर उपस्थित रहेंगे एवं उनकी उपस्थिति में फसल कटनी प्रयोग सम्पादित करायी जाय। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/उप निदेशक (कृषि)/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखंड स्तरीय संबंधित पर्यवेक्षक।

(ix) **फल सब्जीः–** फल–सब्जी कटनी प्रयोग में सभी लंबित प्रतिवेदनों यथा अगहनी आलू, बैगन, टमाटर एवं अमरूद्ध का एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

15. औद्योगिक मूल्य सूचकांक प्रतिवेदन :–

औद्योगिक मूल्य सूचकांक का मासिक प्रतिवेदन सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशालय को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया।

अनुपालनः सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

16. कृषि पदाथों का साप्ताहिक थोक एवं खुदरा मूल्य प्रतिवेदन :–

कृषि पदाथों का साप्ताहिक थोक एवं खुदरा मूल्य का साप्ताहिक प्रतिवेदन पटना प्रमंडल के जिला–पटना, नालंदा। मगध प्रमंडल के जिला–गया। मुंगेर प्रमंडल के जिला –मुंगेर, बेगूसराय। भागलपुर प्रमंडल के जिला–बांका। पूर्णिया प्रमंडल के जिला–किशनगंज, कटिहार। कोशी प्रमंडल के जिला–सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा। दरभंगा प्रमंडल के जिला–दरभंगा। तिरहुत प्रमंडल के जिला–प०चम्पारण एवं सारण प्रमंडल के जिला–सारण से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि वांछित प्रतिवेदन निदेशालय के ई–मेल पर अविलम्ब भेजते हुए प्रेषित प्रतिवेदन के हॉर्ड कॉपी निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

अनुपालनः सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)।

17. नमक मूल्य का मासिक प्रतिवेदन :–

नमक मूल्य के मासिक प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित जिलों से प्रतिवेदन अप्राप्त है जो निम्नवत हैः–

क्र.सं	जिला का नाम	क्र.सं	जिला का नाम
1	भोजपुर	2	नालंदा
3	रोहतास	4	भभुआ (मार्च 2019 का)
5	अरवल	6	औरंगाबाद
7	जहानाबाद (फरवरी, मार्च 2019 का)	8	मुंगेर (जनवरी, फरवरी 2019 का)

Scanned by CamScanner

9	लखीसराय	10	शेखपुरा
11	जमूई	12	बेगूसराय (फरवरी, मार्च 2019 का)
13	खगड़िया	14	सारण (फरवरी, मार्च 2019 का)
15	गोपालगंज	16	मुजफ्फरपुर (फरवरी, मार्च 2019 का)
17	सीतामढ़ी	18	पूर्वी चम्पारण (जनवरी 2019 का)
19	शिवहर	20	प०चम्पारण
21	दरभंगा (मार्च 2019 का)	22	मधुबनी(मार्च 2019 का)
23	समस्तीपुर (फरवरी, मार्च 2019 का)	24	भागलपुर
25	बांका	26	सहरसा
27	सुपौल	28	मधेपुरा
29	किशनगंज		

अनुपालनः सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

18. <u>बिजनेस रजिस्टर से संबंधित प्रतिवेदन</u> :–

राज्य में विभिन्न निबंधन धाराओं के तहत निबंधित बिजनेस प्रतिष्ठानों के लिए तैयार लिस्ट फ्रेम के आधार पर इनका क्षेत्रीय सर्वेक्षण कराकर आपको उपलब्ध करायी गयी विहित प्रपत्र में निबंधन प्राधिकार बाद एवं जिलावार बिजनेस रजिस्टर तैयार करने के निमित कार्य योजना एवं इसके कार्यान्वयन पर आगत–व्यय के प्राकलन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इस क्रम में नालंदा, गया, मुंगेर, शेखपुरा, खगड़िया, प०चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, बांका, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि सभी संबंधित जिला वांछित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर अवलिम्ब निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालनः सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/ राज्य आय प्रशाखा, मुख्यालय।

19. <u>जीवनांक</u>:

(i) **<u>जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संबंधित मासिक प्रतिवेदनः–</u>** सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रत्येक माह की 8वीं तारीख तक मासिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में लभ्य कराना सुनिश्चित करे।

अनुपालनः सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(ii) **<u>प्रतिवेदन प्रेषण स्तरः–</u>** सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जिला अन्तर्गत सभी जन्म–मृत्यु निबंधन इकाईयों से प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(iii) **<u>जन्म रजिस्ट्रीकरण उपलब्धिः</u>**– वर्ष 2019 में वार्षिक लक्ष्य के विरूद्व माह मार्च 2019 तक जन्म रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धि 18.92 प्रतिशत प्राप्त किया गया, जबकि माह मार्च 2019 तक 25 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त किया जाना था। सीतामढ़ी (25.35), कटिहार (23.65), पूर्णिया (22.67), समस्तीपुर (22.50), खगड़िया (22.30), प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कम उपलब्धि प्राप्त करने वाले जिलें यथा सारण,

Scanned by CamScanner

कैमूर, अररिया, नालंदा, बक्सर एवं रोहतास को अपने रजिस्ट्रीकरण में तेजी लाने का निदेश दिया गया। सभी जिलों को निदेशित किया गया कि माह अप्रैल 2019 तक वार्षिक लक्ष्य के विरूद्व जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धि 33.3 प्रतिशत (लगभग) प्राप्त करने हेतु समुचित प्रयास करेगें।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/ सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)।

(iv) निदेशालय द्वारा लभ्य कराये गये रोस्टर के अनुरूप रजिस्ट्रीकरण इकाईयों में **"विशेष निरीक्षण अभियान"** संचालित करने हेतु निदेशित किया गया ताकि किसी भी स्तर से जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं एवं उनके रजिस्ट्रीकरण में अन्तर की स्थिति उत्पन्न न हो सके।

अनुपालनः–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(v) वर्ष 2018 का जीवनांक कार्य से संबंधित धारा 4(4) का वार्षिक प्रतिवेदन प०चम्पारण, दरभंगा, शेखपुरा, सहरसा से अप्राप्त है। संबंधित जिलों को निदेशित किया गया कि धारा 4(4) से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन यथाशीघ्र लभ्य करायी जाय ताकि संकलित प्रतिवेदन ससमय भारत सरकार को भेजा जा सके।

अनुपालनः–सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(vi) <u>MCCD त्रैमासिक प्रतिवेदनः–</u> संबंधित प्रतिवेदन यथा जिला– अरवल, औरंगाबाद, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, वैशाली, मुंगेर, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज एवं कटिहार से अप्राप्त है संबंधित जिलों को सभी त्रैमासिक प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(vii) <u>MCCD प्रशिक्षण उपयोगिता प्रमाण–पत्रः–</u> MCCD प्रशिक्षण से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र वर्ष 2014–15 का सहरसा से लम्बित है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहरसा को एक सप्ताह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहरसा।

(viii) <u>मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम संबंधित प्रतिवेदनः–</u> जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम के साथ पूर्व माह में किये गये भ्रमण का निरीक्षण प्रतिवेदन भी लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/ सभी सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी।

(ix) <u>वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजना मद (जीवनांक से संबंधित) आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्रः–</u> वित्तीय वर्ष 2018–19 में जीवनांक सांख्यिकी कार्यो हेतु राज्य योजना मद में दी गयी राशि का व्यय संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र यथा जिला– पटना, औरंगाबाद, सुपौल, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, रोहतास, लखीसराय, सिवान, भागलपुर, कटिहार, वैशाली, शिवहर, शेखपुरा, अररिया, किशनगंज, जमुई एवं गोपालगंज को छोड़कर अबतक अप्राप्त है उन्हें उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

Scanned by CamScanner

20. बजट :–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में शीर्षवार कार्यालयवार व्यय का योग एवं CTMIS पर प्राप्त कुल व्यय में अन्तर रहना गम्भीर मामला है। निदेश दिया गया कि सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी वित्तीय वर्ष 2018–19 में शीर्षवार निकासी की गई राशि की जाँच कर यदि आवश्यक हो तो तत्संबंधी प्रतिवेदित निदेशालय के बजट शाखा को उपलब्ध करावें।

(i) वित्तीय वर्ष 2018–19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदनों की जाँच के क्रम में पाया गया कि कई कार्यालयों के कई शीर्ष अन्तर्गत वर्ष भर में प्राप्त आवंटन की राशि सही नहीं अंकित रहने के कारण प्रत्यार्पित राशि सही–सही प्रतिवेदित नहीं था। सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि निदेशालय द्वारा शीर्षवार आवंटित राशि का लेखा जोखा सही तरीके से रखें एवं इसकी समीक्षा के उपरांत ही अतिरिक्त राशि की अधियाचना की जाय।

(ii) वित्तीय वर्ष 2018–19 में शीर्षवार प्रत्यार्पित राशि की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि कई कार्यालयों के द्वारा बहुत बड़ी राशि प्रत्यार्पित की गई जबकि 31.03.2019 तक संभावित व्यय का आकलन कर अतिरिक्त राशि प्रत्यार्पित करने के निदेश दिया गया था। इस निदेश का अनुपालन नहीं करने वाले आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग करने का निदेश दिया गया।

(iii) समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि जिस जिला में चालक के पद स्वीकृत है वहाँ संविदा पर सेवा प्राप्त वाहन चालक के मासिक पारिश्रमिक का भुगतान CSO शीर्ष से किया जाना है एवं जहाँ पर पद स्वीकृत नहीं है, वहाँ सेवा प्राप्त वाहन चालक के पारिश्रमिक का भुगतान राज्य योजना शीर्ष समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष से किया जाना है। जिसके लिए अलग से राशि आवंटित किया जायेगा।

(iv) केन्द्रीय योजनागत योजना ICS एवं TRS शीर्ष में पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मी के वेतनादि का भुगतान हेतु भारत सरकार से काफी कम राशि प्राप्त होने के कारण उस शीर्ष में पदसथापित पदाधिकार/कर्मी के वेतनादि का भुगतान करने हेतु जहाँ वैकल्पिक व्यवस्था की गई वहाँ जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा ICS शीर्ष में लगभग 1,52,000/–रूपये प्रत्यार्पित किया जाने पर काफी क्षोभ प्रकट किया गया एवं इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया।

(v) निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में CFMS प्रणाली लागु होने के कारण प्रत्येक माह के अंतिम तिथि को वेतनादि का भुगतान किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कार्यालय में पदस्थापित सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/पर्यवेक्षक से प्रत्येक माह अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं नियमित रूप से भ्रमण दैनन्दिनी प्राप्त कर नियमानुसार देय यात्रा भत्ता का नियमित भुगतान सुनिश्चित करेंगे। यात्रा भत्ता मद में क्षेत्रिय कार्यालयों को राशि का आवंटन उनके द्वारा यात्रा भत्ता विपत्र की छायाप्रति के साथ प्रेषित अधियाचना के पश्चात् किया जायेगा।

अनुपालन– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/ सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(vi) गत बैठकों में दिये गये स्पष्ट निदेश के बावजूद भी अद्यतन संधारित कार्यालय रोकड़ पंजी एवं बैंक पासबुक के अंतिम पृष्ठ की सत्यापित छाया प्रति बहुत जिला से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह का प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 8वीं तारीख तक

Scanned by CamScanner

निश्चित रूप से निदेशालय के लेखा शाखा को लभ्य कराना सुनिश्चित किया जाय। अवशेष राशि का मदवार विवरणी भी अंकित की जाय।

(vii) प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षा के आधार पर जिलों के रोकड़पंजी एवं बैंक खातें में उपलब्ध राशि में अन्तर पाये जाने पर क्षोभ प्रकट किया गया। अन्तर राशि की जॉच कर Reconciliation विवरणी में इसका स्पष्ट उल्लेख करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक(सांख्यिकी)/ सभी जिला सां०पदा०/लेखा शाखा/

(viii) समीक्षा के क्रम मे पुर्णियॉ एवं समस्तीपुर जिला से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बी.टी.सी.–42ए. अप्राप्त पाया गया। निदेश दिया गया कि सभी अंतिम रूप से वांछित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। इस माह के अंत तक दिये गये निदेश के अनुसार बी.टी.सी.–42ए. में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने पर अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने कर निदेश दिया गया।

अनुपालनः– जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्णिया एवं समस्तीपुर/ लेखा शाखा/निदेशालय।

(xi) निदेशालय के पत्रांक 163/28.01.2019 द्वारा वित्त विभाग के निदेशानुसार सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों को अपने कार्यालय का मासिक/त्रैमासिक लेखा सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराने का निदेश से अवगत कराते हुए अनुरोध किया गया कि उक्त पत्र के निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 का वार्षिक लेखा विवरणी तैयार कर विशेष दूत को प्रतिनियुक्त कर महालेखाकार कार्यालय, पटना से उसका सत्यापन कराते हुए सत्यापन प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/बजट शाखा

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

Scanned by CamScanner

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–DES(योजना शाखा) 01/2019/491/पटना, दिनांकः–07.05.19

प्रतिलिपिः– 1. सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरीय संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक(प्रशासन)/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी(स्थापना)–1 एवं 2/सभी प्रशाखा के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रभारी निदेशक कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही में उल्लेखित कंडिकाओं का अनुपालन निर्धारित अवधि के अन्दर सुनिश्चित कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब प्रेषित की जाय।

संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

ज्ञापांकः–DES(योजना शाखा) 01/2019/491/पटना, दिनांकः–07.05.19

प्रतिलिपिः– श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांगा, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को ई–मेल द्वारा प्रेषित करने एवं श्री सुदामा कुमार, आई.टी. मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

Scanned by CamScanner